अन्य पछिड़ा वर्ग हेतु औद्योगकि क्षेत्रों में 10 प्रतशित भू-खंड आरक्षति करने की अधसिूचना

चर्चा में क्यों?

10 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के वाणज्यि एवं उद्योग वभिाग द्वारा **औद्योगकि क्षेत्रों में अन्य पछिड़ा वर्ग के लयि 10 प्रतशित भू-खंड आरक्षति** करने तथा भू-प्रीमयिम दर के 10 प्रतशित दर एवं 1 प्रतशित भू-भाटक पर उपलब्ध कराने हेतु **'औद्योगकि नीतिं-2019-24' में संशोधन** करते हुए अधसिूचना जारी कर दी गई।

प्रमुख बदि‍ु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 73वें गणतंत्र दविस के अवसर पर 26 जनवरी को अन्य पछिड़ा वर्ग के नागरकिों में उद्यमति को बढ़ावा देने के लयि औद्योगकि क्षेत्रों में अन्य पछिड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतशित भू-खंड आरक्षति करने तथा भू-प्रीमयिम दर के 10 प्रतशित दर एवं 1 प्रतशित भू-भाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी।
- जारी अधसिूचना के अनुसार **राज्य के औद्योगकि क्षेत्रों में उद्योग वभिाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रयिल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लमिटिेड द्वारा संधारति समस्त औद्योगकि क्षेत्रों में** उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पछिड़ा वर्ग के नागरकिों में उद्यमति को बढ़ावा देने के लयि इस प्रवर्ग हेतु 10 प्रतशित भू-खंड आरक्षति कयि जाएंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 प्रतशित दर तथा 1 प्रतशित भू-भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **आरक्षण की अवधि नियित दनिांक अथवा औद्योगकि क्षेत्र की स्थापना दनिांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक** रहेगी।
- भूखंड-भूमि की मात्रा **'छत्तीसगढ़ औद्योगकि भूमि एवं भवन प्रबंधन नयिम-2015'** में वर्णति पात्रता के नयिम तथा प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधसिूचना के जारी होने के दनिांक से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/notification-of-reservation-of-10-percent-plot-in-industrial-areas-for-obcs